रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032020-218834
CG-DL-E-21032020-218834

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1060] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2020/फाल्गुन 30, 1941
No. 1060] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2020/PHALGUNA 30, 1941

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

का.आ. 1188(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 1537(अ) दिनांक 09 अप्रैल, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में-

(क). तीसरे अनुच्छेद के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में 01.06.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए और कर निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए भी लागू माना गया है और कर निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के संबंध में लागू होगा"

(ख). अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण ज्ञापन अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"स्पष्टीकरण ज्ञापन

मैसूर पैलेस बोर्ड v में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर इस अधिसूचना को कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में 01.06.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए और कर निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए भी भूतलक्षी प्रभाव दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं तीन अन्य ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 की रिट याचिका संख्या 2019 की 40801 में यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा"।

3. यह अधिसूचना 9 अप्रैल, 2019 से लागू मानी गई है।

(अधिसूचना सं. 19/2020 फा. सं. 300196/63/2018-आईटीए-I)

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को 09 अप्रैल, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव देने पर किसी व्यक्ति के हित पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोटः प्रधान अधिसूचना को दिनांक 09 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं. का. आ.1537 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशित किया गया था।